संख्याः 381 /XVII(1)-3/08-07(37)/2006(टी0सी0)

प्रेषक,

**मनीषा पंवार,**

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

समाज कल्याण विभाग,

हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांकः 20 मई, 2009

**विषयः-उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून के आधुनिकीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून के पत्रांक-123/उ0मु0ए0मि0/वि0वि0प्रस्ताव/2009-10 दिनांक 06 अप्रैल, 2009 एवं पत्रांक-1071-72/उ0मु0ए0मि0/कम्प्यूटर-सा0स0/2009-10 दिनांक 18 मई, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु प्राविधानित धनराशि में से उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन, देहरादून के आधुनिकीकरण योजना हेतु कुल रुपये 15,64,524/- (रुपये पन्द्रह लाख चौंसठ हजार पांच सौ चौबिस मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त धनराशि का व्यय फर्नीचर मद में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्यदायी संस्था को उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व अन्तिम रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भौतिक सत्यापन में प्राप्त फर्नीचर एवं सामग्री टेण्डर की शर्तों/मानकों के अनुरूप एवं संतोषजनक है तथा भौतिक सत्यापन में वास्तविक रूप से ठीक पायी गयी है।

4. उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मद में किया जाय, जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश/सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग के शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0एस0एन0डी0 अथवा टेण्डर, कोटेशन विषय वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि नियमानुसार मिशन की औचित्यपूर्ण मांग प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु हस्तान्तरित की जायेगी।

6. वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत एवं भौतिक प्रगति के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इसका उपयोग दिनांक 31 मई, 2009 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा। उक्त योजना में व्यय की गई धनराशि का प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा।

8. इस संबंध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवायें-00-800-अन्य व्यय-12-मुस्लिम एजुकेशन मिशन की स्थापना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता' के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या:-31(P)/XXVII(3)/09 दिनांक 20 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 381 (1)/XVII(1)-3/09-07(37)/2006(टी0सी0) तद्दिनांक-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी(नैनीताल), उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(आर0 के0 चौहान)
अनुसचिव।